

डिकी मुकदमा इत्यादि
(ओ 20 रूल 6-7 जाया धीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडागीम
पीठारीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उपनाम

1. ग्राम पंचायत भण्डारी अन्दरूणी पंचायत समिति टोडागीम जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भण्डारी अन्दरूणी पंचायत समिति टोडागीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
2. तहसीलदार टोडागीम।
3. नायब तहसीलदार बालघाट।

प्रतिवादीगण

मु0न0 130/2019


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट, मिनकानिव गुदई रुबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादीगण की और से प्रस्तुत दावा वावत इन्द्राज दुरुरती एवं स्थायी निषेधाज्ञा साक्ष्य सबूत के अभाव में खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....वावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....

अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.08.2021 को जारी की


(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपक्षेत्र अधिकारी टोडागीम

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	जिला-करौली	पैसे
स्टाम्प अजी दावा			स्टाम्प अजी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					